आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०—145/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
मसो० सावित्री कुवंर——विक्रेता (दान कर्त्ता)
प्रति
श्री श्रवण कुमार चन्द्रवंशी——क्रेता (दानप्राप्त कर्त्ता)

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता (दान कर्त्ता) मसो० सावित्री कुवंर, पति—स्व० शिव राम, ग्राम—चुटिया, पोस्ट—गोदरमाना, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता (दानप्राप्त कर्त्ता) श्री श्रवण कुमार चन्द्रवंशी, पिता—श्री बनारसी चन्द्रवंशी, ग्राम—चुटिया, पोस्ट—गोदरमाना, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 85/दिनांक 25.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता (दान कर्त्ता) के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता (दान कर्त्ता) के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता (दान कर्त्ता) के श्वसुर राम बदन राम के नाम से मांग चलता है। विक्रेता (दान कर्त्ता) जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता (दान कर्त्ता) जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता (दान कर्त्ता) एवं क्रेता (दानप्राप्त कर्त्ता) दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता (दान कर्त्ता) प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता (दान कर्त्ता) के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता (दान कर्त्ता) मसो० सावित्री कुवंर, पति—स्व० शिव राम, ग्राम—चुटिया, पोस्ट—गोदरमाना, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने क्रेता (दानप्राप्त कर्त्ता) श्री श्रवण कुमार चन्द्रवंशी, पिता—श्री बनारसी चन्द्रवंशी, ग्राम—चुटिया, पोस्ट—गोदरमाना, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
चुटिया	141	पुराना—35 नया—164	पुराना—265 नया—1250	0.17½	उ०—रामकिशुन राम, द०—वृजमोहन राम, पू०—पक्की सड़क, प०—कन्हाई लोहार वगैरह,
		पुराना—35 नया—164	पुराना—265 नया—1251	0.45	
		पुराना—35 नया—164	पुराना—265 नया—1262	0.7	
		पुराना—35 नया—164	पुराना—265 नया—1265	0.06	
			कुल रकबा:—	0.75½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

03/03/23 — 03/03/23

अपर समाहर्त्ता, गढ़वा। — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.03.15 17:13:33 +05:30
Location: 192.168.4.160

Scanned with CamScanner